**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1169**

**दिनांक 27 जुलाई, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**एनपीपीए में विशेषज्ञों की नियुक्ति**

**1169. श्री आर. वैद्यलिंगम:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मूल्य निर्धारण विनियामक में वरिष्ठ पदों पर चिकित्सा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, एक कॉस्टिंग प्रोफेशनल और एक औषध विज्ञानी को नियुक्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह उद्योग की इन चिंताओं को दूर करने के लिए है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के पास मूल्य की अधिकतम सीमा तय करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क):** ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

**(ख) और (ग):** उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*